

अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया क्षेत्रीय कार्यालय

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने गंगा नदी के किनारे **राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1)** पर **अंतरदेशीय जल परविहन (IWT)** गतिविधियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिये **वाराणसी** स्थिति अपने उप-कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय में उन्नत किया है।

प्रमुख बिंदु

- **IWAI क्षेत्रीय कार्यालय:**
 - भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) **केंद्रीय बंदरगाह, पोत परविहन और जलमार्ग मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।
 - वर्तमान में इसके **पाँच क्षेत्रीय कार्यालय** गुवाहाटी (असम), पटना (बिहार), कोच्ची (केरल), भुवनेश्वर (ओडिशा) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में हैं।
 - **वाराणसी (उत्तर प्रदेश)** में नव स्थापित क्षेत्रीय कार्यालय छठा क्षेत्रीय कार्यालय बन गया है।
 - वाराणसी कार्यालय मझुआ से वाराणसी मल्टी-मॉडल टर्मिनल (MMT) और परयागराज तक 487 किलोमीटर के क्षेत्र में पर्याप्तता का प्रबंधन करेगा।
 - यह उत्तर प्रदेश में अन्य **राष्ट्रीय जलमार्गों से संबंधित कार्यों की भी देखरेख** करेगा।
- **जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP):**
 - यह कार्यालय **वशिव बैंक** समर्थित **जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP)** के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देगा।
 - इसका उद्देश्य नमिनलखित के माध्यम से **गंगा नदी (NW-1) की क्षमता को बढ़ाना है:**
 - **नदी संरक्षण कार्य** जैसे कि बाँध बाँधना और रखरखाव ड्रेजिंग।
 - **वाराणसी, साहबिगंज और हल्दिया में MMT**, कालीघाट में एक इंटरमॉडल टर्मिनल और फरक्का (पश्चिम बंगाल) में एक नया नेविगेशनल लॉक सहित प्रमुख बुनियादी ढाँचे का निर्माण।
 - जलमार्ग पर **करूज पर्यटन** और नरिबाध माल यातायात को **बढ़ावा देना**।
 - **सामुदायिक घाटों का विकास:**
 - JMVP के अंतर्गत चार राज्यों: **उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 60 सामुदायिक घाटों का** निर्माण किया जा रहा है।
 - इन घाटों का **उद्देश्य स्थानीय यात्रियों, छोटे और सीमांत किसानों, कारीगरों और मछली पकड़ने वाले समुदायों को लाभ पहुँचाना है।**
 - वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय इन गतिविधियों की निगरानी करेगा तथा इनका कुशल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।
- **उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग:**
 - उत्तर प्रदेश में लगभग **30 नदियाँ हैं, जिनमें से 10 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित** किया गया है।
 - यह कार्यालय **गंगा नदी** और उसकी सहायक नदियों **बेतवा, चंबल, गोमती, टोंस, वरुणा, गंडक, घाघरा, करमनाशा और यमुना** पर विकास कार्यों की देखरेख करेगा।

भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण

- यह नौवहन और नौवहन के लिये अंतरदेशीय जलमार्गों के विकास और वनियमन के लिये **27 अक्टूबर 1986** को अस्तित्व में आया।
- यह मुख्य रूप से **शिपिंग मंत्रालय** से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गों पर **IWT बुनियादी ढाँचे के विकास और रखरखाव के लिये परियोजनाएँ** चलाता है।

अंतरदेशीय जल परविहन (IWT)

- **परिचय:**
 - अंतरदेशीय जल परविहन से तात्पर्य किसी देश की सीमाओं के भीतर स्थिति **नदियों, नहरों, झीलें और अन्य नौगम्य जल नकियाँ** जैसे जलमार्गों के माध्यम से लोगों, माल और सामग्रियों के परविहन से है।
 - **IWT परविहन का सबसे कफायती तरीका है, खास तौर पर कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, खाद्यान्न और उर्वरक जैसे थोक सामानों के**

लिये। वर्तमान में, भारत के मॉडल मशिण में इसका हसिसा 2% है और इसका कम उपयोग कथिया जाता है।

■ अंतर्राष्ट्रीय जल परविहन के सामाजकि-आर्थकि लाभ:

- ससुती परचालन लागत और अपेक्षाकृत कम ईधन खपत
- परविहन का कम परदूषणकारी साधन
- अन्य परविहन साधनों की तुलना में भूमिकी कम आवश्यकता
- परविहन का अधिकि पर्यावरण अनुकूल तरीका
- इसके अलावा, जलमार्गों का उपयोग नौकायन और मत्स्यन जैसे मनोरंजक उद्देश्यों के लिये भी कथिया जा सकता है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/new-regional-office-of-inland-waterways-authority>

